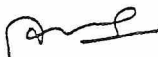


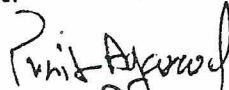
अग्रवाल समाज सेवा समिति जगतपुरा जयपुर.....समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था

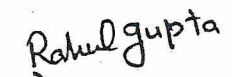
संघ विधान पत्र

1. संस्थान का नाम : अग्रवाल समाज सेवा समिति जगतपुरा जयपुर
2. पंजीकृत कार्यालय : डी-76, कुसुम विहार, रामनगरिया रोड, जगतपुरा जयपुर-302017
- तथा कार्यक्षेत्र : तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर है।
3. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-
 - (1) इस संस्थान का वर्तमान नाम अग्रवाल समाज सेवा समिति जगतपुरा जयपुर है।
 - (2) समाज के लोगों के सर्वांगीण विकास।
 - (3) शिक्षा के क्षेत्र में समाज का आगे ले जाना व बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना।
 - (4) समाज में फैले भेदभाव, कुरीति एवं अन्य कुप्रथाओं का उन्मूलन।
 - (5) समाज के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्कॉलरशिप व्यवस्था।
 - (6) गरीब व बेसहारा समाज के बच्चों की शिक्षा को समुचित व्यवस्था करना।
 - (7) समाज के सामुहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन करवाना।
 - (8) समाज को विवाह योग्य युवतियों के विवाह में आर्थिक सहयोग करना।
 - (9) समाज के वरिष्ठजनों के कल्याणार्थ चिकित्सा, देव-दर्शन, देखभाल एवं अन्य योजनायें।
 - (10) समाज की महिलाओं हेतु समय-समय पर कार्यक्रम करना, जिससे वे अपास में मिल सकें तथा सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कर सकें।
 - (11) समाज के सभी लोगों हेतु समय-समय पर चिकित्सा शिविर/स्वतदान शिविर आदि का आयोजन करना।

उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष



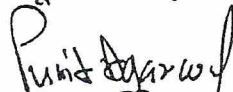
Signature valid

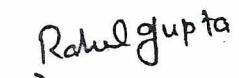
Digitally signed by Anilabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.11.01 12:40:33 IST
Reason: Approval
Location: Jaipur

- (12) समाज के सभी लोगों के मेल-मिलाप एवं परिचय हेतु वार्षिक गोठ, दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम आदि का आयोजन करना।
- (13) युवक-युवतियों का परिचय एवं सामुहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन करना।
- (14) समाज के बेसाहस वर्ग को आर्थिक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- (15) समाज द्वारा स्कूल, कॉलेज व अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना
- (16) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार से भूमि आवंटन करवाना।
- (17) वे सभी सामाजिक व धार्मिक कार्य करना, जो समाज, धर्म, सम्प्रदाय एवं सभी जीव व प्राणी मात्र के हित में हों।

उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Anilabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.11.01 12:40:33 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur



अग्रवाल समाज सेवा समिति जगतपुरा जयपुर.....समिति / सोसायटी / संस्थान / संस्था

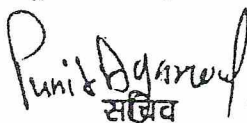
संघ विधान नियमावली

1. संस्थान का नाम : अग्रवाल समाज सेवा समिति जगतपुरा जयपुर
2. पंजीकृत कार्यालय : डी-76, कुरुग विहार, रामनगरिया रोड, जगतपुरा जयपुर-302017
- तथा कार्यक्षेत्र : तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर है।
3. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-
 - (1) इस संस्थान का वर्तमान नाम अग्रवाल समाज सेवा समिति जगतपुरा जयपुर है।
 - (2) समाज के लोगों के सर्वांगीण विकास।
 - (3) शिक्षा के क्षेत्र में समाज का आगे ले जाना व बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करना।
 - (4) समाज में फैले भेदभाव, कुरीति एवं अन्य कुप्रथाओं का उन्मूलन।
 - (5) समाज के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्कॉलरशिप व्यवस्था।
 - (6) गरिब व बेसहारा समाज के बच्चों की शिक्षा को समुचित व्यवस्था करना।
 - (7) समाज के सामुहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन करवाना।
 - (8) समाज के विवाह योग्य युवतियों के विवाह में आर्थिक सहयोग करना।
 - (9) समाज के वरिष्ठजनों के कल्याणार्थ चिकित्सा, देव-दर्शन, देखभाल एवं अन्य ध्येय कार्य।
 - (10) समाज की महिलाओं हेतु समय-समय पर कार्यक्रम करना, जिससे वे अपास में मिल सकें तथा सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कर सकें।
 - (11) समाज के सभी लोगों हेतु समय-समय पर चिकित्सा शिविर/स्वतदान शिविर आदि का आयोजन करना।

उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।




अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REG. SECRETARY
Date: 2022.11.01 12:40:35 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur



- (12) समाज के सभी लोगों के मेल-मिलाप एवं परिचय हेतु वार्षिक गोठ, दीपावली रंग मेलन का कार्यक्रम आदि का आयोजन करना।
- (13) युवक-युवतियों का परिचय एवं सामुहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन करना।
- (14) समाज के बेसाहस वर्ग को आर्थिक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- (15) समाज द्वारा स्कूल, कॉलेज व अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।
- (16) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार से भूमि आवंटन करवाना।
- (17) वे सभी सामाजिक व धार्मिक कार्य करना, जो समाज, धर्म, सम्प्रदाय एवं सभी जीव व प्राणी मात्र के हित में हों।

4. सदस्यता :-

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करने हों।
2. बालिग हों।
3. पागल, दीवाने न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:-

संरक्षक

विशिष्ट

सम्माननीय

साधारण

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त उप नियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार व चन्दा- शुल्क व चन्दा देय होगा:-

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 1. संरक्षक | राशि 21000 रुपये वार्षिक / आजन्म |
| 2. विशिष्ट | राशि 11000 रुपये वार्षिक / आजन्म |
| 3. सम्माननीय | राशि 5100 रुपये वार्षिक |
| 4. साधारण | राशि 200 वार्षिक |
- उक्त राशि का एक नुस्त की दर से जमा कराई जा सकेगी।

उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

Pratibha
सचिव

Rahul Gupta
कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Anshabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.11.01 12:40:35 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur



7. सदस्यता से निष्कासन:- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:-

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर- अन्दर, लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:-

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के:-
अधिकार और कर्तव्य

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे:-

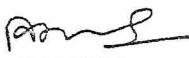
1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये की समीक्षा करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

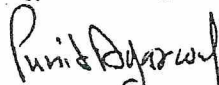
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

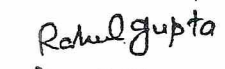
10. साधारण सभा :-
की बैठकें

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेषतया अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/5 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। पुनः 1 घंटे पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वे ही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, केलिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 7 दिवस के

उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Anubab Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.11.01 12:40:35 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur



अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन:-

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एकप्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. अध्यक्ष- एक | 2. उपाध्यक्ष- चार |
| 3. सचिव- एक | 4. कोषाध्यक्ष- एक |
| 5. संयुक्त-कोषाध्यक्ष-एक | 6. संयुक्त सचिव-दो |
| 7. ऑडिटर-एक | 8. मीडिया प्रभारी-एक |
| 9. सदस्य- छः | |

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 12 पदाधिकारी व 6 सदस्य कुल 18 सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :
1. संस्था की प्रबन्ध कारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
 2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

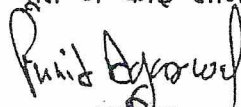
13. कार्यकारिणी के अधिकार :- और कर्तव्य

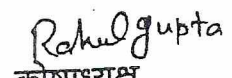
संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:-

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।

उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Ambabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.11.01 12:40:35 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur



14. कार्यकारिणी बैठकें:-

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी बुलाई जा सकती हैं।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन के पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा। संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे:-

15. प्रबन्धकारिणी पदाधिकारियों :-
के अधिकार एवं कर्तव्य

1. अध्यक्ष:

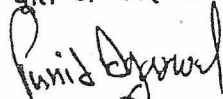
1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना बैठकें आहूत करना।
3. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
4. संविदा तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

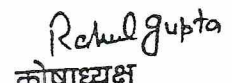
2. उपाध्यक्ष:

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Anshabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.11.01 12:40:35 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur



3. सचिव:

1. बैठकें आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा विल आदि पारा करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

4. संयुक्त सचिव:

1. सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के सभी कार्य पूर्ण करना।
2. सचिव के सभी कार्यों में मदद करना।

5. कोषाध्यक्ष:

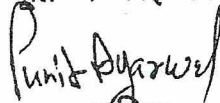
1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

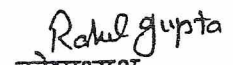
6. संयुक्त कोषाध्यक्ष:

1. कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव के सभी कार्य पूर्ण करना।
2. कोषाध्यक्ष के सभी कार्यों एवं लेखा-जोखा में मदद करना।

उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Anubh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.11.01 12:40:35 IST
Reason: Approve
Location: Jaipur



7. ऑडिटर :

समाज के लेखे-जोखों का सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार ऑडिट करना तथा ऑडिट रिपोर्ट बनाना एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत ऑडिट से सम्बन्धित सभी कार्यों को पूर्ण करना।

8. मीडिया प्रगारी :

1. समाज के सभी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
2. समाज के कार्यक्रमों के प्रचार सामग्री को तैयार करवाना।
3. अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर बताये गये प्रचार सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करना।

16. संस्था का कोष:-

संस्था कोष निम्न प्रकार से संचित होगा:-

1. चन्दा
 2. शुल्क
 3. अनुदान
 4. सहायता
 5. राजकीय अनुदान
- 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जा जायेगी।
- 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेनदेन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी :-
विशेषाधिकार

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे:-

1. अध्यक्ष 2,00,000 /-रु.
2. सचिव 1,00,000 /-रु.
3. कोषाध्यक्ष 50,000 /-रु.

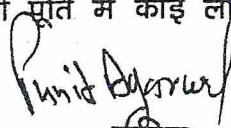
उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

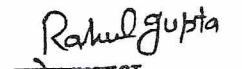
18. संस्था का अंकेक्षण:-

संस्था के सगरत लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Anurabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.11.01 12:40:35 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur



19. संस्था के विधान में
परिवर्तन व परिवर्द्धन:-

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के
कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा
संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन:-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त
चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को
हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13
व 14 के अनुरूप होगी।

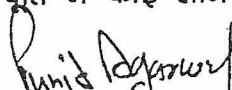
21. संस्था के रेकार्ड
का निरीक्षण :-

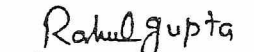
रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर, को संस्था के रेकार्ड
लेखे जोखेके निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके
द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) अग्रवाल समाज सेवा समिति
जगतपुरा जयपुर की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Anilabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.11.01 12:40:35 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

